



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2805/2019

United India Insurance Company Ltd., Through Regional Manager
Office 3, Second Flore Above State Bank of India, Transport
Nagar, Jaipur Having It's Regional Office At Jaipur (Raj.)

----Non-Claimant/Appellant

Versus

1. Ramkishan Alias Ramkrishna S/o Late Sh. Bajrang Lal,
Age - About 45 Years
2. Smt. Pooja W/o Sh. Ramkishan Saraswat, Age - About 43
Years
3. Vinay Saraswat S/o Sh. Ramkishan Saraswat, Age - About
19 Years
4. Vishnu Saraswat S/o Sh. Ramkishan Saraswat, Age -
About 17 Years
All Resident of - Near Adarsh Vidhya Mandir, Ward No. 3,
Sardar Shahar, Churu (Raj.) Claimant/Respondent No. 4
Is Minor And Through Natural Guardian Father Sh.
Ramkishan Saraswat

----Claimant/Respondents

5. Sanwal Ram Meena S/o Sh. Heera Lal Meena, Resident of
Village - Farsiya, Rooppura, Tehsil - Uniyara, District -
Tonk (Raj)

----(Driver of Vehicle)

6. Satish Kumar Manoja S/o Sh. Rawal Shaha Manocha,
Resident of - 182, Frontier Colony, Adarsh Nagar, Jaipur
(Raj.)

----(Owner of Vehicle)

----Non-Claimants/Respondents

Connected With

(2) S.B. Cross Objection (Civil) No. 56/2019

In

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2805/2019

United India Insurance Company Limited, Through Regional
Manager Office 3, Second Floor, Above State Bank of India,
Transport Nagar, Jaipur, It's Regional Office At- Jaipur, Rajasthan.

----Non-Claimant-Appellant

Versus

1. Ramkishan Alias Ramkrishna Saraswat Son of Late Shri
Bajrang Lal, Age - About 45 Year.
2. Smt. Pooja Wife of Shri Ramkishan Alias Ramkrishna
Saraswat, Age - About 43 Years.
3. Vinay Saraswat Son of Shri Ramkishan Alias Ramkrishna



Saraswat, Age About 19 Years.

4. Vishnu Saraswat Son of Shri Ramkishan Alias Ramkrishna Saraswat, Age About 17 Years.

All Are Resident of Near Adarsh Vidhya Mandir, Ward No. -3, Sardar Shahar, Churu (Rajasthan).

----Corss-Objector/Respondent/Claimants

5. Sanwal Ram Meena Son of Shri Heera Lal Meena, Resident of - Village- Farsiya Rooppura, Tehsil - Uniyara, District - Tonk. (Raj) (Driver of Vehicle)

6. Satish Kumar Manocha Son of Shri Rawal Shah Manocha, Resident of - 182, Frontier Colony, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan, (Owner of Vehicle)

----Respondents/Non-Claimant

For Appellant(s)	: Mr. Lokesh Parihar, Adv. (for Insurance Company)
For Respondent(s)	: Mr. Sandeep Mathur, Adv. (for Claimants-Respondents S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2805/2019) Mr. Yatharth Agarwal, Adv. for Mr. Sudhir Jain, Adv. Mr. Vikas Bana, Adv. for Mr. Nitesh Rawat, Adv. (for Cross-Objectors In S.B. Civil Cross Objection No. 56/2019)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

08/12/2025

1. प्रत्यर्थी/अपीलांत बीमा कम्पनी (जिसे आगे 'अपीलांत बीमा कम्पनी' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम-2, जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-393/2016, रामकिशन उर्फ रामकृष्ण व अन्य बनाम सांवल राम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2019 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है तथा दावाकर्तागण/रेस्पोंडेंट्स/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स (जिन्हें आगे 'दावाकर्तागण/क्रॉस आब्जेक्टर्स' के नाम से संबोधित किया



जाएगा) की ओर से **क्रॉस ऑब्जेक्शन (प्रत्याक्षेप) संख्या-56/2019**, अपीलांत बीमा कम्पनी की ओर से संस्थित की गयी अपील के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गयी क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. दावाकर्तागण/क्रॉस आबजेक्टर्स द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में निखिल की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 64,80,000/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 38,50,000/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-2805/2019**, विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय को निरस्त करवाये जाने हेतु तथा दावाकर्तागण/क्रॉस आबजेक्टर्स की ओर से **क्रॉस ऑब्जेक्शन (प्रत्याक्षेप) संख्या-56/2019**, अपीलांत बीमा कम्पनी की ओर से संस्थित की गयी अपील के विरुद्ध संस्थित करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गयी क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. अपीलांत बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-2805/2019** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांत बीमा कम्पनी का तर्क रहा है कि दावाकर्तागण/क्रॉस आबजेक्टर्स द्वारा अपनी याचिका में मृतक की आय 15,000/— रुपये मासिक होना बताई गयी थी, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आय 15,000/— के स्थान पर 25,000/— रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक अपने इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुआ था। अतः मृतक की आय 15,000/— रुपये निर्धारित की जाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलांत बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जावे।



4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की वार्षिक आय 25,000/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। यदि मृतक जीवित होता तो वह भविष्य में और आय अर्जित करता। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स का यह भी तर्क रहा है कि यदि किसी मामले क्लेमेंट द्वारा कम मुआवजा मांगा गया हो तो भी विद्वान अधिकरण द्वारा अधिक मुआवजा दिलवाया जा सकता है, शर्त यह है कि मुआवजा निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण (fair & just) होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स की ओर से संस्थित "क्रॉस ऑब्जेक्शन" (प्रत्याक्षेप) को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की जावे। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये :-

- **Nagappa Vs. Gurudayal Singh & Ors.** reported in **2003 (2) SCC 274 &**
- **S. Mohammed Hakkim Vs. National Insurance Co. Ltd. & Ors.** reported in **(2025) 10 SCC 263.**

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

सिविल विविध अपील संख्या-2805/2019 :-

6. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलांत बीमा कम्पनी की ओर से मृतक की आय निर्धारण के संबंध में ली गयी आपत्ति का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त घटना मृतक निखिल को बी-टेक इंजीनियरिंग का छात्र होना बताते हुए 15,000/— रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया गया है तथा क्लेम याचिका में भी वक्त घटना मृतक की आय 15,000/— रुपये प्रतिमाह होना अंकित की गयी है। परन्तु



दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है। विद्वान अधिकरण के समक्ष मृतक की 10वीं, 12वीं व बी-टेक की अंकतालिकाएं तथा मृतक की कॉलेज की जमा फीस की रसीदें पेश की गयी थी, जिनके आधार पर विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग का छात्र मानते हुए तथा भविष्य में पढ़ाई कर कुशल इंजीनियर बनने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की प्रतिमाह आय 25,000/- रुपये निर्धारित की गयी है। जबकि अपीलान्ट बीमा कम्पनी द्वारा यह तर्क लिया गया है कि वक्त घटना मृतक, इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुआ है जो मेधावी छात्र नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मृतक की आय 25,000/- रुपये प्रतिमाह नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में माननीय उच्चतम द्वारा न्यायिक दृष्टांत **S. Mohammed Hakkim (supra)** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"11. In the above case, this Court was dealing with a case of an accident that occurred in the year 2013. Although considering the facts of that case, this Court had taken the income of the claimant therein as Rs 10,000 per month, it was noted that students, like the appellant in the present case, would be at least earning the minimum of Rs 20,000 per month. Thus, in our opinion, it would be in the interest of justice if the notional income of the appellant were taken as Rs 20,000."

7. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **S. Mohammed Hakkim (supra)** के मामले में यह माना कि क्लेमेंट द्वारा उक्त मामले में स्वयं की आय 10,000/- रुपये बताई गयी है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि मामले का विद्यार्थी कम से कम 20,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता होगा। इन



परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आय 20,000/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की है।

8. अन्य न्यायिक दृष्टांत **Nagappa (supra)** के मामले में यह भी मत व्यक्त किया गया है कि :—

"7. Firstly, under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, (hereinafter referred to as "the MV Act") there is no restriction that compensation could be awarded only up to the amount claimed by the claimant. In an appropriate case, where from the evidence brought on record if the Tribunal/court considers that the claimant is entitled to get more compensation than claimed, the Tribunal may pass such award. The only embargo is — it should be "just" compensation, that is to say, it should be neither arbitrary, fanciful nor unjustifiable from the evidence.

10. Thereafter, Section 168 empowers the Claims Tribunal to "make an award determining the amount of compensation which appears to it to be just". Therefore, the only requirement for determining the compensation is that it must be "just". There is no other limitation or restriction on its power for awarding just compensation."

9. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Nagappa (supra)** के मामले में यह माना कि यदि किसी मामले में क्लेमेंट द्वारा कम मुआवजा मांगा गया हो तो भी विद्वान अधिकरण द्वारा अधिक मुआवजा दिलवाया जा सकता है, शर्त यह है कि मुआवजा निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण (fair & just) होना चाहिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक निखिल सारस्वत बी-टेक की परीक्षा में फेल भी हो गया था, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर संलग्न अंकतालिका प्रदर्श-13ए से होती है, इससे प्रकट होता है कि मृतक मेधावी छात्र नहीं था। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **S. Mohammed Hakkim (supra)** तथा



Nagappa (supra) के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए वक्त घटना मृतक की मासिक आय 20,000/— रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। अतः उपरोक्तानुसार अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से मृतक के आय निर्धारण के संबंध में ली गयी आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

10. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स के पक्ष में जारी क्षतिपूर्ति राशि को संशोधित किया जाना हम उचित समझते हैं।

प्रत्याक्षेप संख्या-56/2019 :-

11. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.06.2016 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को 20 वर्ष की आयु बी-टेक इंजीनियरिंग का छात्र होना बताते हुए 15,000/— रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया गया है तथा उक्त आय के अतिरिक्त मृतक द्यूशन पढ़ाकर 20,000/— रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त आय अर्जित करता था। परन्तु दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है। किन्तु बावजूद प्रमाण पत्र व साक्ष्य के अभाव में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय 25,000/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलांट बीमा कम्पनी के तर्क से सहमत होते हुए वक्त घटना मृतक की मासिक आय 20,000/— रुपये निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्धारित आय के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 20 वर्ष की आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा भी मृतक की आयु वक्त घटना 20 वर्ष निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना मृतक 20 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना



अपेक्षित है। तदनुसार 20,000/— रुपये का 40 प्रतिशत 8,000/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 28,000/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गयी है जो सही है। तदनुसार 28,000/— रुपये का 1/2 भाग 14,000/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 14,000/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 20 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की 20 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 14,000/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $14,000 \times 12 \times 18 = 30,24,000/—$ रुपये होती है, जो दावाकर्तागण/क्रॉस आब्जेक्टर्स प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में समस्त दावाकर्तागण/क्रॉस आब्जेक्टर्स को एकमुश्त 40,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित



सिद्धान्त के अनुसार मृतक के पिता व माता तथा भाईयों, दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स संख्या-1 लगायत 4 को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में प्रत्येक को 48,000/- रुपये (कुल 1,92,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 15,000/- रुपये की राशि दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/- रुपये की राशि दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/- रुपये की राशि दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/- रुपये की राशि दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स की ओर से प्रस्तुत **क्रॉस ऑब्जेक्शन (प्रत्याक्षेप) संख्या-56/2019** जिसमें दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने का निवेदन किया है, अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या-2805/2019** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्टर्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	30,24,000/-
2.	कंसोर्टियम के मद में (प्रत्येक दावाकर्ता को 48,000/- रुपये)	कुल 1,92,000/-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000/-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000/-
	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	32,52,000/-



	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)	38,50,000 / -
	क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	-5,98,000 / -

17. तदनुसार दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स की ओर से संस्थित प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन) संख्या-56/2019 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अपीलांत बीमा कम्पनी की ओर से संस्थित सिविल विविध अपील संख्या-2805/2019 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स को 38,50,000/- रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 32,52,000/- रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जावे।

18. इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 05.07.2019 के अनुसार अपीलांत बीमा कम्पनी को आदेश दिया गया था कि वह विद्वान अधिकरण द्वारा आदेशित सम्पूर्ण अवार्ड राशि अधिकरण के समक्ष जमा करवाए तथा जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि में से 50 प्रतिशत राशि का वितरण दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स को किया जाए तथा 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. के रूप में जमा रखी जावे। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलांत बीमा कम्पनी की अपील को स्वीकार किया गया है तथा दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स के प्रत्याक्षेप को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण के समक्ष जो 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा है, उसका भुगतान इस आदेश में आदेशित क्षतिपूर्ति राशि के अनुसार ही दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स को किया जावे। दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स अब इस आदेश में आदेशित क्षतिपूर्ति राशि को ही प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

19. इस आदेश द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्तागण/क्रॉस ऑब्जेक्ट्स, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

20. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।



21. तदनुसार उक्त प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन) व अपील निस्तारित की जाती है।
22. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /107-108-S